राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/वेज/2010 जयपुर, दिनांक : 4/3/2011.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट की मजदूरी दर के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित मेट को वर्तमान में रूपये 107/– प्रतिदिन की दर से मजदूरी देय है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2011 से अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि कर रूपये 100/– से बढा कर रूपये 119/– किये जाने के परिपेक्ष में योजनान्तर्गत नियोजित किये जा रहे मेट की मजदूरी दर दिनांक 01.01.2011 से रूपये 107/– से बढा कर रूपये 127/– की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।

भवदीय

(रामनिवास मेहता)
परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा प्रथम/द्वितीय एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

4/3/2011
परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस